

## न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर

पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या-55/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भैरूलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण उम्र 60 वर्ष निवासी तामडोली तहसील डेगाना जिला नागौर।		1. भारत सरकार जरिये सचिव मंत्रालय परिवहन विभाग व हाईवे, नई दिल्ली। 2. अधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 3. प्रबन्धक एवं प्रोजेक्ट निदेशक, नेशनल हाईवे ओथोरिटी, अजमेर।

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री हनुमानराम दाधीच।
2. अप्रार्थी संख्या-1 व 3 की ओर से वकील श्री राकेश धनकड़।
3. अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश

दिनांक: 06/01/2020

1-प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने 2 लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित संशोधित आंशिक अवार्ड दिनांक 16.10.2015 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2-वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि-

2(1)-प्रार्थी की एक कृषि भूमि 7 बीघा जो वाके ग्राम तामडोली पटवार मण्डल जालसू खुर्द के पुराने खसरा नम्बर 232/1 नये खसरा नम्बर 374 तहसील डेगाना में आई हुई है।

2(2)- प्रार्थी के जीवन यापन का साधन कृषि है। प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार खेती के कार्य पर ही आश्रित है तथा इसी कार्य से प्रार्थी के परिवार का गुजारा चलता है। इस संबंध में तहसीलदार डेगाना ने दिनांक 30.09.2010 को प्रमाण पत्र प्रार्थी को दिया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का जीवन यापन इसी कृषि कार्य से हो रहा है तथा प्रार्थी के पास कोई अन्य कृषि भूमि नहीं है और ना ही कोई अन्य कार्यकर्ता है।

2(3)-अप्रार्थी द्वारा राजमार्ग संख्या 458 को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2013 को एक अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए जारी की गई जिसमें प्रार्थी कृषि भूमि जो कि खसरा नम्बर 232/1 को अवाप्त करना भी दर्शाया गया है, जिसमें प्रार्थी की कुल 7 बीघा भूमि में से 1.45 हैक्टर भूमि अवाप्त करनी बताई गई है।

2(4)- अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए के बाद अप्रार्थी द्वारा दिनांक 05.02.2014 को अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3डी जारी की गई, जिसमें प्रार्थी की कृषि को अवाप्त करना दर्शाया गया है।

2(5)-प्रार्थी की कुल कृषि भूमि में से सिर्फ 1.45 हैक्टर ही भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के लिए दर्शायी गई थी, परन्तु जब प्रार्थी की कृषि भूमि अप्रार्थी द्वारा अधिसूचना में दर्शायी माप से



दिनेश कुमार यादव  
जिला कलक्टर, नागौर

ज्यादा अवाप्त करना पाया गया, तब प्रार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत राज्य सरकार द्वारा जबाब मांगा, जिसका दिनांक 10.09.2014 को राज्य सरकार द्वारा जबाब दिया गया कि खसरा नम्बर 232/1 में टोल प्लॉजा का निर्माण किया जायेगा।

**2(6)**—प्रार्थी की कृषि भूमि नगर पालिका डेगाना से मात्र एक किलोमीटर की दूरी में आई हुई है, जो नगर पालिका डेगाना के पैराफेरी बेल्ट में स्थित है, जिसको टोल प्लॉजा के निर्माण के लिये अवाप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग नियम 2008 के नियम 8 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टोल प्लॉजा का निर्माण नगर निगम या नगर पालिका एवं कोई भी शहर या कस्बा से 10 किलोमीटर की परिधि के बाद ही किया जा सकता है। जब इस संबंध में नगर पालिका डेगाना में प्रार्थी भैरूलाल ने पुछताछ की तब वहां के अधिशाषी अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र दिनांक 17.12.2015 को जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि नगर पालिका डेगाना की परिधि (रेंज) एक किलोमीटर की सीमा में आई हुई है, जब कि दस किलोमीटर तक किसी भी प्रकार के टोल प्लॉजा का निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त जमीन नगर पालिका डेगाना के पैराफेरी बेल्ट में आई हुई है।

**2(7)**— प्रार्थी के कृषि भूमि पर हो रहे टोल प्लॉजा के अवैध निर्माण को रूकवाने के लिए प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक रिट याचिका संख्या-516/2016 प्रस्तुत की, जिसमें अप्रार्थी द्वारा जबाब दिया गया कि उन्होंने प्रार्थी की कृषि भूमि पर दो लाख उनचालिस हजार तीन सौ इक्यासी रुपये का अवार्ड जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष कहा कि प्रार्थी की कृषि भूमि अधिसूचना में दर्शाये गये माप से ज्यादा अवाप्त की गई एवं प्रार्थी को इस संबंध में किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रार्थी के कुल 7 बीघा कृषि भूमि में से छः बीघा जमीन अवाप्त कर ली गई एवं एक बीघा भूमि प्रार्थी के किसी काम में लेने योग्य नहीं रही। तब माननीय न्यायालय ने रिट याचिका का निस्तारण करते हुए दिनांक 06.05.2019 को अप्रार्थी को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया कि क्योंकि टोल प्लॉजा का निर्माण हो चुका है एवं प्रार्थी की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा संबंधित सारा अधिकार अन्तर्गत धारा 3जी (5) में जिला कलक्टर महोदय के क्षेत्राधिकार में होने से जिला कलक्टर महोदय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिये एवं छः माह के अन्दर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये।

**2(8)**— प्रार्थी की कृषि भूमि पर गलत एवं नाजायज तरीके से बिना कोई मुआवजा दिये टोल प्लॉजा का निर्माण किया एवं प्रार्थी की सात बीघा कृषि भूमि में से कुल छः बीघा अप्रार्थी द्वारा अवाप्त की गई, जिसका न तो अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए एवं 3डी में दर्शाया गया है।

**2(9)**— प्रार्थी की कृषि भूमि जो आबादी के 100 मीटर के दायरे में है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि की बाजारु कीमत एक बीघा की इक्कीस लाख रुपये है। प्रार्थी की कृषि भूमि जो कि आबादी के नजदीक है, इस बाबत वहां के निवासियों द्वारा शपथ पत्र एवं सरपंच एवं तहसीलदार की रिपोर्ट इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

**2(10)**— प्रार्थी की भूमि अवाप्ति पर मुआवजा केवल 1.45 हेक्टर का 2,70,000/- रुपये का अवार्ड जारी किया गया, जो कि पूर्णतया गलत है जबकि प्रार्थी की कुल 7 बीघा कृषि भूमि में से 6 बीघा कृषि भूमि टोल प्लाजा निर्माण के लिए अवाप्त की गई, जिस संबंध में प्रार्थी को सिर्फ 1.45 हेक्टर तक का ही मुआवजा जारी किया गया, जबकि शेष भूमि का प्रार्थी को न तो मुआवजा दिया एवं गलत एवं मनमाने ढंग से कृषि भूमि अवाप्त कर ली, जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का गुजारा जो कि कृषि पर ही आधारित था को भारी क्षति हुई। इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार मुआवजा प्रार्थी को दिलाये जाने का निवेदन किया— प्रार्थी की कृषि भूमि की आज दिनांक बाजारु कीमत एक बीघा की 21,00,000/-रुपये है, इस प्रकार से कुल छः बीघा की कीमत 1,26,00,000/- प्रार्थी को दिया जावे। प्रार्थी के पास भूमि अवाप्त होने के बाद अब केवल एक बीघा जमीन रही, वो भी दो टुकड़ों में होने के कारण किसी भी रूप में उपयोग में लेने योग्य



Handwritten signature and a blue stamp that reads 'अवार्ड जारी' (Award Issued).

नहीं रही। जिसका भी मुआवजा बाजारू कीमत 21,00,000/- के प्रार्थी को दिया जावे। प्रार्थी की कृषि भूमि अवाप्त करने के मय 150 पेड़ खेजड़ी के थे, जिसमें भी प्रार्थी को खेजड़ी के पेड़ों का भी मुआवजा नहीं दिया गया, जो 1,00,000/- प्रार्थी को दिया जावे। प्रार्थी को भूमि अवाप्त करने की दिनांक से आज दिनांक तक 1,48,00,000/- रुपये सालाना हिसाब से 18 प्रतिशत सालाना के आधार पर ब्याज दिलाने का निवेदन किया है।

**3-**वकील श्री राकेश धनकड़ ने अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से बहस में कथन किया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के किमी 0.000 से किमी 139.900 तक के भूखण्ड निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अपेक्षित है जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 8.9.2012 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में प्राधिकृत किया गया, तत्पश्चात् अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अंतर्गत दिनांक 11.3.2013 को अधिसूचना जारी की गयी जिसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.4.2013 को प्रकाशित करवाकर हितधारियों व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर यानि 5.5.2013 तक के लिए आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित की गयी। उक्त निर्धारित समयावधि में अर्थात् 5.5.2013 तक विभिन्न ग्रामों से आक्षेप/आपत्तियों मय दस्तावेज/सबूत आदि प्राप्त हुए। जिस पर अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं को पर्याप्त, समुचित एवं व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 4.9.2013 को आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया। तत्पश्चात् अधिनियम, 1956 की धारा 3सी के अंतर्गत पत्र प्रतिवेदन दिनांक 4.9.2013 को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय) को भिजवा दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3डी की उपधारा 1 अधिसूचना संख्या क.आ. 343(अ) दिनांक 5.2.2014 को हितबद्ध व्यक्तियों व हर आम खास की सूचनार्थ जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं दैनिक भास्कर संस्करण दिनांक 6.4.2014 को प्रकाशित करवायी जाकर घोषणा की गयी है कि उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर विनिर्दिष्ट अवाप्तशुदा भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यांतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जायेगी। उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात दिनांक 26.4.2014 तक किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार उक्त अधिसूचनाओं के तहत भूमि का विधिनुसार अर्जन किया गया है। इस प्रकार धारा 3डी की उक्त घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन पर विनिर्दिष्ट अवाप्तशुदा भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यांतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गयी।

**3(1)**-राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई तथा उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 232/1 तथा नया खसरा नंबर 374 रकबा 0.6521 है0 सम्मिलित है जिसका अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर भूमि की प्रकृति बारानी-2 मानते हुए समुचित मुआवजा राशि का निर्धारण कर कुल मुआवजा राशि रुपये 2,39,381/- का आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को प्रार्थी के पक्ष में पारित किया जा चुका है जिसका उल्लेख अवार्ड दिनांक 15.07.2015 में कम संख्या 74 पर किया गया है।

**3(2)**-यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण के लिए तहसीलदार/उप पंजीयक लाडनू, जायल, डेगाना व मेडता को पत्रांक 1826-1829 दिनांक 22.6.2015 को प्रेषित कर दिनांक 11.3.2013 अर्थात् धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन को प्रभावी डीएलसी दरों (बाजार मूल्य) के आधार पर सरकारी/निजी भूमि के क्षेत्रफल का अलग-अलग मूल्यांकन कर मूल्यांकन रिपोर्ट व डीएलसी

दर (बाजार मूल्य) भिजवाने हेतु सूचित किया गया जिसके अनुसरण में तहसीलदार/उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा तहसीलवार संबंधित क्षेत्रों की मूल्यांकन रिपोर्ट व डीएलसी दर (बाजार मूल्य) भिजवायी गयी जिसका संपूर्ण विवरण अवार्ड दिनांक 15.07.2015 में किया गया है, जिसके आधार पर अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया गया है जो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत व समुचित है।

**3(3)**—सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि में आने वाले वृक्षों की कीमत का मूल्यांकन संबंधित वृक्षों की प्रजाति के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण, उपवन संरक्षक, नागौर द्वारा करवाया जाकर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है तथा इसी प्रकार भूमि व नलकूपों व विद्युत कनेक्शन इत्यादि का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाकर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचना, वृक्षों, नलकूपों, विद्युत कनेक्शन इत्यादि का मूल्यांकन समुचित रूप से किया जाकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जो कि नियमानुसार सही व विधिसम्मत है।

**3(4)**—समस्त अवाप्तशुदा भूमि की दर/कीमत संबंधित तहसीलदार/उप पंजीयक महोदय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सड़क के सन्दर्भ में दी गई थी जो कि प्रचलित बाजार मूल्य के समान थी जिसके आधार पर निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है। संबंधित उप पंजीयक/तहसीलदार महोदय द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी उसी दर के अनुसार उस गांव की भूमि की दर निर्धारित की गई है। डीएलसी दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म, बाजार मूल्य आदि का मूल्यांकन राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 की धारा 58 के अनुसरण में किया जाता है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि डी.एल.सी. दर व बाजार मूल्य में किसी प्रकार की भिन्नता हो। राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 में दी गयी डीएलसी को परिभाषित किया गया है।

"District Level Committee (DLC) – means the committee constituted by the State Government for a district from time to time for the purpose of determining the market value of the land."

**3(5)**—प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के सन्दर्भ में बाजार दर के निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 1989 दिनांक 10-07-2015 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डेगाना की अध्यक्षता एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक डेगाना, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अजमेर स्वयं एवं उनके प्रतिनिधि की सदस्यता में कमेटी गठित की गई जिनके द्वारा पत्र क्रमांक 13.07.2015 को प्रचलित बाजार दर का निर्धारण किया गया, जिसका विस्तृत उल्लेख अवार्ड दिनांक 15-07-2015 के क्लॉज 10 में किया गया है, इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे के निर्धारण हेतु प्रचलित बाजार दर का समुचित निर्धारण कर मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है, जो कि पूर्णतया विधि सम्मत है।

**3(6)**—सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2015 को अवार्ड पारित किए जाने के पश्चात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, जैम त्पहीज जव थ्यत ब्बउचमदेंजपवद दक ज्तंदेचंतमदबल पद संदक |बुनपेपजपवदए त्मीइपसपजंजपवद दक त्मेमजजसमउमदज |बजए 2013द्ध के प्रभाव में आ जाने के कारण जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1.1.2015 को लागू किया गया व निर्णय लिया गया कि दिनांक 1.1.2015 के पश्चात् पारित अवार्ड के मुआवजा राशि का निर्धारण अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसरण में किया जायेगा जिस पर उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 26 के मानदण्डों के अनुसरण में सक्षम भूमि प्राधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 15.07.2015 को संशोधित करते हुए संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 पारित कर प्रार्थी के पक्ष में अवाप्तशुदा



*[Handwritten signature]*  
कलक्टर, नागौर

भूमि के मुआवजे स्वरूप कुल रूपये 3,63,549/- का अवार्ड पारित किया जा चुका है जिसका संपूर्ण विवरण अवार्ड दिनांक 16.10.2015 में कम संख्या 74 पर किया गया है।

**3(7)**—प्रार्थी द्वारा अपने संपूर्ण प्रार्थना पत्र में सारहीन कथन दर्ज किए हैं। प्रार्थी द्वारा दर्ज कथनों में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि की कितनी राशि मुआवजास्वरूप कम दिलायी गयी है और वह किस प्रकार अनुचित है। प्रार्थी ने अपने कथनों में ना ही यह स्पष्ट किया है कि अवार्ड अधिकारी द्वारा किस प्रकार से बाजार मूल्य का गलत रूप से निर्धारण किया है। प्रार्थी का यह विधिक दायित्व है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में लिए गए आधारों के संदर्भ में विशिष्ट रूप से कथन करता, जिनसे यह साबित हो सके कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा समुचित मानदण्डों को अपनाकर मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। इस तथ्य को साबित करने का भार भी प्रार्थी पर है परंतु प्रार्थी प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इस प्रकार इस मद में वर्णित तथ्यों की रोशनी में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

**3(8)**—अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म राजस्व अभिलेख में मुआवजा निर्धारित करते समय दर्ज थी उसी किस्म के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अदा किया गया है जो कि पूर्णतः उचित एवं सही है।

**3(9)**—प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि प्रार्थी के आवेदन को बल मिलता हो अतः इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन खारिज किये जाने योग्य है।

**3(10)**—प्रार्थी की 1.45 है0 भूमि अवाप्त नहीं की गयी है बल्कि प्रार्थी के खसरा नंबर 374 की कृषि भूमि में से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु 0.6521 है0 भूमि अवाप्त की गयी है जिसके मुआवजा राशि का समुचित निर्धारण कर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम, 1956 व अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत दिनांक 16.10.2015 को अवार्ड पारित किया जा चुका है।

**3(11)**—प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नियम 2008 के नियम 8 की गलत रूप से व्याख्या की गयी है। अन्यथा भी प्रार्थी द्वारा इस मद में वर्णित कोई दस्तावेजात अप्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी की भूमि में स्थित टोल प्लाजा नगर पालिका डेगाना की परिधि से एक किलोमीटर की सीमा में हो। इस प्रकार प्रार्थी तथ्यों को साबित करने में स्वयं असफल है जिसके अभाव में प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

**3(12)**—रिट याचिका संख्या 516/2016 प्रस्तुत किये जाने के तथ्य जानकारी के अभाव में जवाब मोहताज नहीं है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया जाकर प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि के बराबर सोलेशियम राशि का अवार्ड प्रतिकर के रूप में प्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया है जिसका उल्लेख अवार्ड दिनांक 16.10.2015 के कम संख्या 74 पर किया गया है परंतु प्रार्थी द्वारा उक्त अवार्ड का समुचित अवलोकन किए बिना ही, कयासों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**3(13)**—राष्ट्रीय राजमार्ग व टोल प्लाजा का निर्माण नियमानुसार किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा इस स्तर पर प्रार्थी की भूमि पर स्थित टोल प्लाजा के संबंध में प्रार्थी को किसी प्रकार की आपत्ति किये जाने का अधिकार नहीं है।

**3(14)**—प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के पैरा संख्या-9 वर्णित तथ्यों के संबंध में दस्तावेजात अप्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं जिसके अभाव में प्रार्थी द्वारा उक्त संबंध में समुचित जवाब दिया जाना संभव नहीं है। अन्यथा भी अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसरण में ही प्रार्थी की



Handwritten signature and blue ink stamp of the National Commission for Arbitration, New Delhi.

अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण प्रार्थी के पक्ष में दिना 16.10.2015 को अवार्ड पारित किया गया है जो कि समुचित है।

**3(15)**—प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों के आधार पर यह आवेदन माननीय मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है।

**4**—राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में वकील अप्रार्थीगण श्री.राकेश धनकड़ की बहस का समर्थन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

**5**—वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार—

**5(1)**—निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-458 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या-606(अ) दिनांक 11.03.2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। जिस पर धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा सम्पादित करते हुए संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 को जारी किया गया, इस आंशिक अवार्ड के तहत इस प्रकरण में प्रार्थी के ग्राम तामड़ोली के खसरा नम्बर 232 (नया खसरा नम्बर 374) में से 0.6521 हैक्टर भूमि किस्म बारानी 2 अवाप्ति के संबंध में कुल मुआवजा राशि 6,05,291/-रूपये निर्धारित किया गया है, जिसमें भूमि की कीमत गुणक 1.25 सहित 2,72,024/-रूपये तथा इस राशि के बराबर तोषण राशि 2,72,024/-रूपये एवं 61,243/-रूपये ब्याज/क्षतिपूर्ति शामिल है।

**5(2)**—प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हे सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने को लेकर उज्र किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 11.03.2013 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां मांगी गई थी। तत्पश्चात धारा 3घ की अधिसूचना का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया गया उक्त प्रकाशन के पश्चात निर्धारित अवधि में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं तत्समय प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार वकील प्रार्थी का यह कथन की प्रार्थी को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, विश्वसनीय नहीं है।

**5(3)**—प्रार्थी की कृषि भूमि की आज दिनांक बाजारू कीमत एक बीघा की 21,00,000/-रूपये है। इसलिए 6 बीघा की कीमत 1,26,00,000/-रूपये प्रार्थी को दिलाने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 3ए के प्रकाशन की दिनांक को प्रभावी दर से गणना कर मुआवजा देय है, आज दिनांक को प्रभावी दर से देय नहीं है। इसके अलावा वकील प्रार्थी द्वारा जो दर बताई गई है, वह एक कयास मात्र प्रतीत होती है। इसलिए वकील प्रार्थी का उक्त कथन माने जाने योग्य नहीं है। जबकि समक्ष प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत मुआवजे की गणना की जाकर अवार्ड पारित किया जो उचित है।

**5(4)**—प्रार्थी की कुल सात बीघा कृषि भूमि में से छः बीघा कृषि भूमि टोल प्लॉज निर्माण के लिए अवाप्त की गई है, जिस संबंध में प्रार्थी को सिर्फ 1.45 हैक्टर तक का ही मुआवजा जारी किया है, को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वकील प्रार्थी एक ओर अपनी 6 बीघा भूमि अवाप्त करना कर बता रहा है, वहीं दूसरी ओर 1.45 हैक्टर अर्थात करीब 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि का मुआवजा जारी बता रहा है। वास्तव में प्रार्थी की कितनी भूमि अवाप्त हुई है इस संबंध में स्वयं प्रार्थी का कथन विरोधाभासी है। जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की कुल



*[Handwritten signature]*  
कलक्टर, नागौर

0.6521 हैक्टर भूमि अवाप्त की गई है, जिसका नियमानुसार मुआवजा निर्धारित किया जा चुका है।

5(5)—प्रार्थी के पास भूमि अवाप्त होने के बाद अब केवल एक बीघा जमीन रही है, वो भी टुकड़ों में होने के कारण किसी रूप में उपयोग लेने योग्य नहीं रही, जिसका मुआवजा बाजारु कीमत 21,00,000/- प्रार्थी को दिलाने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एक ओर अपनी 7 बीघा भूमि में से 6 बीघा भूमि अवाप्त करना बताया है, वहीं दूसरी ओर 1.45 हैक्टर भूमि अवाप्त करना बता रहा है, 1.45 हैक्टर भूमि अर्थात करीब 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि मुआवजा जारी करना बता रहा है। इसके अलावा अवाप्ति पश्चात 1 बीघा भूमि शेष बचना बता रहा है, जो कि टुकड़ों में होना बताकर इस 1 बीघा भूमि को उपयोग में लेने योग्य नहीं होना बता रहा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी नकल संवत् 2071-2074 के अनुसार प्रार्थी के पास कुल खसरा नम्बर 374 में 1.13 हैक्टर की खातेदारी थी, जिसमें से 0.6521 हैक्टर भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज हो चुकी है। अब प्रार्थी के पास 0.4779 हैक्टर भूमि खातेदारी में दर्ज है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण टुकड़ों में विभक्त है, परन्तु उक्त भूमि किस प्रकार अनुपयोगी हो गई है, के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई कोई प्रमाण, साक्ष्य पेश नहीं किये हैं, इसलिए शेष बची भूमि को अनुपयोगी माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5(6)— अवाप्त कृषि भूमि में 150 पेड़ खेजड़ी के होना, जिसका मुआवजा 1,00,000/-रूपये दिलाने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में वकील प्रार्थी ने 150 पेड़ खेजड़ी के अवाप्तशुदा भूमि में स्थित होने के संबंध में अपने कथन मात्र के अलावा अन्य कोई ठोस विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः प्रार्थी के कथन मात्र के आधार पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के उक्तानुसार पेड़ों का मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है।

5(7)—अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6—आदेश सुनाया।



(दिनेश कुमार यादव)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,  
कलकट नगर

